23.12.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई. प्रकरण वकील वादी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा अपनी कृषि आराजीयात पर रास्ते कि घोषणा हेतु वाद पत्र सिविल कोर्ट मे प्रस्तुत किया है तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए भी वाद पत्र प्रस्तुत किया है। इस लिए इस वाद पत्र को चलाना नही चाहते है। इस पर वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया प्रति वादी गण को जलिल व परेशान करने की गरज से वाद पत्र मे पक्षकार बनाया. जिससे प्रतिवादी गण को लम्बे समय न्यायिक कार्यवाही व उपस्थिति देनी पड़ी। जिससे प्रतिवादी गण को हर्जाना दिलाये जाने का आदेश फरमावे। उभय पक्ष की बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया। वादी गण ने सिविल न्यायालय मे अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया है। यह वाद भी स्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसे वादी गण इस वाद पत्र को इस न्यायालय मे नही चलाना चाहते है। वादी गण स्थाई निषेधाज्ञा की राहत सिविल न्यायालय से पाना चाहते है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। यह वाद पत्र साक्ष्य वादी मे विचाराधीन था। अत: इस वाद पत्र की कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप कि जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।